न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

प्र0सं0 05/25 दायरा दिनांक 19.03.2025

1–रंगलाल पुत्र नंगा उम्र 55 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2–प्रभू पुत्र नंगा उम्र 52 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3–कोमल पुत्र नंगा उम्र 50 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4–बनवारी पुत्र नंगा उम्र 48 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1–ताराबाई पत्नि किशना उम्र 70 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2–रामेश्वर पुत्र किशना उम्र 45 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3–प्रकाश पुत्र किशना उम्र 38 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4–हरिओम पुत्र किशना उम्र 42 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5–प्रेमसिंह पुत्र किशना उम्र 35 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईकला तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
6–मानसिंह पुत्र परमी उम्र 60 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईखुर्द तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
7–राजकुमार पुत्र बृजमोहन उम्र 35 वर्ष जाति सहरिया निवासी रातईखुर्द तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

<u>निर्णय–दिनांक 25.08.2025</u>

उपस्थित–
प्रार्थीगण की ओर से – श्री सोनू मेहता एवं श्री नवीन कश्यप एडवोकेटस
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री धीरेन्द्र माली एडवोकेट

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रातईकला हल्का ढिकवानी तहसील शाहावाद के खाता संख्या नई 344 पुरानी 340 में आराजी ख0नं0 5/3 रकबा 15.00 बीघा स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी जमाबंदी में प्रार्थीगण के खाते दर्ज है, जिसमें अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं है। गतवर्ष विवादित आराजी में से [illegible].00 बीघा पर अप्रार्थीगण ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है और प्र[illegible]ण [illegible] उन्हे रोका तो अप्रार्थीगण कहने लगे कि तुम पैमाइश करा लो [illegible] हारी जमीन नि[illegible] तो छोड देंगे। दिनांक 22.05.2024 को उक्त आराजी की पै[illegible] गया, [illegible] प्रार्थीगण छोडने को तैयार नहीं है। अप्रार्थीक्रम 1 ल[illegible] 5 द्वारा अप्रार्थी 6 [illegible] साथ मिलकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:43 IST
Reason: SelfAttested

25/08/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

आज से तकरीबन 2 माह पूर्व मकान निर्माण प्रारंभ कर दिया है, जिन्हे रोका व मना किया तो जान से मारने की धमकी दी। कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया जा रहा है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर निर्माण कर रहे हैं, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवायें तथा मौके की यथास्थिति कायम रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को सुना गया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये दिनांक 19.03.2025 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया कि वे विवादित आराजी ख0नं0 5/3 रकबा 15.00 बीघा ग्राम रातईकला तहसील शाहाबाद के राजस्व रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें, यदि इसमें आपत्ति हो तो नियत दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण जर्ये वकील उपस्थित हुये तथा वकील अप्रार्थीगण ने जबाव पेश नही कर सीधे वहस सुने जाने का निवेदन किया, जिस पर उभयपक्ष की वहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि वे न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.03.2025 की पालना कर रहे हैं। विवादित आराजी ख0नं0 5/3 रकबा 15.00 बीघा ग्राम रातईकला तहसील शाहाबाद के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं, जिसमें अप्रार्थीगण को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.03.2025 को कन्फर्म किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

25.08.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:43 IST
Reason: SelfAttested